



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225041
CG-DL-E-10022021-225041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 543]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

का.आ. 595(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1072 (अ) दिनांक 13 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 के कि.मी. 68.017 से कि.मी. 89.800 तक (रास-ब्यावर-आसींद-मंडल) के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित २-लेन/४-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22.08.2020" को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 के कि.मी. 68.017 से कि.मी. 89.800 (रास-ब्यावर-आसींद-मंडल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: भीलवाड़ा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: आसींद				
	गांव का नाम: आसींद सिटी				
1	3934/1	निजी	गेमु. आवासीय	0.0732	नगरपालिका आसीन्द हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए (3934/1)
2	3934/2	निजी	गेमु. आवासीय	0.0738	नगरपालिका आसीन्द हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए (3934/2)
3	3935/7123	निजी	नहरी ।	0.006	नगरपालिका आसीन्द हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए (3935/7123)
4	3935/7124	निजी	नहरी ।	0.2261	नगरपालिका आसीन्द हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए (3935/7124)
5	3958/1	निजी	गेमु.आवादी	0.141	नगरपालिका आसीन्द हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए (3958/1)
6	3967/1	निजी	चाही उत्तम	0.133	नगरपालिका आसीन्द हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए (3967/1)
			कुल	0.6531	

[फा. सं. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2021

S.O. 595(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. No. 1072 (E) on dated 13th March, 2020** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for for building (Widening/2 lane with paved shoulder /four laning etc.)

Maintenance, management and operation of National Highway No. 158 on the stretch of land from Km. 68.017 to Km. 89.800 (Ras-Beawer-Asind-Mandal) in the district of BHILWARA in the state of RAJASTHAN.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Rajasthan Patrika**” and “**Dainik Bhaskar**” both dated **22nd Aug, 2020** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway No. 158 on the stretch of land from Km. 68.017 to Km. 89.800 (Ras-Beawer-Asind-Mandal) in the district of BHILWARA in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			District: BHILWARA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Asind				
	Village: Asind City				
1	3934/1	Private	Ge.Mu. Residential	0.0732	Nagar Palika Asind Part For The Purn Sanstha 3934/1
2	3934/2	Private	Ge.Mu. Residential	0.0738	Nagar Palika Asind Part For The Purn Sanstha 3934/2
3	3935/7123	Private	Naheri I	0.006	Nagar Palika Asind Part For The Purn Sanstha 3935/7123
4	3935/7124	Private	Naheri I	0.2261	Nagar Palika Asind Part For The Purn Sanstha 3935/7124
5	3958/1	Private	Ge.Mu. Abadi	0.141	Nagar Palika Asind Part For The Purn Sanstha 3958/1
6	3967/1	Private	Chahi Uttam	0.133	Nagar Palika Asind Part For The Purn Sanstha 3967/1
			TOTAL	0.6531	

[F. No. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3D]

RAJESH GUPTA, Director